समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R476-I-17 189

प्रकरण क्र. ..../............../...................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार	-		श्री दशरथ तुमराची पिता सोनूलाल तुमराची ग्राम बरबटी, तहसील व जिला जबलपुर
			विरूद्ध -
अनावेदक	-	1.	श्री आशीष बैरी पिता श्री शिवनाथ बैरी, निवासी दत्त अपार्टमेंट नेपियर टाउन जबलपुर
		2.	श्री बारेलाल साहू पिता श्री अम्मा प्रसाद साहू, निवासी ग्राम हिनौतिया पिन्डरई, तह. व जिला जबलपुर
		3.	म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 41/अ-21/2016-17 में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी दशरथ तुमराची पिता सोनूलाल तुमराची निवासी ग्राम बरबटी, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **डुंगरिया** प.ह.नं. 65 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 773, 784/1, 784/2 रकवा क्रमशः 0.800, 0.400, 0.400 हेक्टेयर कुल रकवा 1.600हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी (1) श्री आशीष बैरी पिता श्री शिवनाथ बैरी निवासी दत्त अपार्टमेंट नेपियर टाउन जबलपुर (2) श्री बारेलाल साहू पिता श्री अम्मा प्रसाद साहू, निवासी ग्राम हिनौतिथा पिन्डरई,तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. उक्त भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
4. आवेदक श्री दशरथ तुमराची द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत आवेदन पत्र में लेख किया है कि अनावेदक गैर आदिम जनजाति सदस्य वर्तमान गाइड लाइन में यदि भूमि की कीमत अधिक होगी तो तद्नुसार वर्तमान गाइड लाइन वर्ष के अनुसार आवेदक आदिवासी को भूमि की कीमत

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

28 JAN 2017

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 476–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम डुंगरिया प.ह.नं. 65रा.निमं. बरगी तहसील व जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 773, 784/1, 784/2 रकबा क्रमशः 0.800, 0.400 एवं 0.400 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 /गैर आदिम जनजाति के सदस्यों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 18-11-16 को पंजीबद्ध कर आदेश पत्रिका दिनांक 2-1-17 द्वारा दिनांक 3-4-17 के लिए ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई	

निगा० 476-अ/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त ग्राम सूपावारा प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 4.200 हेक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम डुंगरिया प.ह.नं. 65 रा. निमं. बरगी तहसील व जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 773, 784/1, 784/2 रकबा क्रमशः 0.800, 0.400 एवं 0.400 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 /गैर आदिम जनजाति के सदस्यों को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 476-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
—	2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	